केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

स.31/सीबीएसई/सीई/एसपीपीएस/2026 **दिनांक: 30.03.2026**

प्रधानाचार्य
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय

परिपत्र

विषय: परीक्षा समाप्ति से पूर्व प्रश्नपत्रों के वितरण पर प्रतिबंध।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रश्नपत्रों की अत्यंत गोपनीयता और सत्यनिष्ठा हर समय बनाए रखना अनिवार्य है। इस संबंध में, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

- किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रश्नपत्र किसी व्यक्ति को दिया, दिखाया अथवा सौंपा नहीं जाएगा।
- छात्रों को वितरित करने के बाद बचे हुए प्रश्नपत्रों को, परीक्षा शुरू होते ही, पुनः पैक करके सुरक्षित रखा जाएगा।
- किसी भी प्रश्नपत्र को संबंधित विषय शिक्षकों को अवलोकन हेतु नहीं दिया जाएगा।
- प्रश्नपत्रों को पुस्तकालय आदि में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि परीक्षा समाप्त होने के बाद इन्हें वेब पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसका अर्थ यह है कि छात्रों को वितरित किए गए प्रश्नपत्रों और पैक किए गए प्रश्नपत्रों का योग विद्यालय को प्राप्त कुल प्रश्नपत्रों के बराबर होना चाहिए।
- इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन परीक्षा की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सभी केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने कर्मचारियों को तदनुसार जानकारी दें।

परीक्षा की सत्यनिष्ठा और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है।

ह/-

(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक